न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

रसद विविध :: 62/2024

जी.सी.एम.एस.नम्बर : 2024/331

प्रार्थी:—	बनाम	अप्रार्थी:—
सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी पाली		मोहम्मद यासीन गौरी पुत्र इस्लामुद्दीन गौरी निवासी 166 शिवर नगर मण्डिया रोड पाली हाल प्रापराईटर नेशनल गैस सर्विस भाटी मार्केट के पास मंडिया रोड पाली

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955"

उपस्थित :—

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोड़ा, तरूण उपाध्याय।

—: निर्णय :—

दिनांकः— 20/05/2025

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत कर अप्रार्थी द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डरों को अवैध रूप से व्यवसायिक उपयोग संग्रहण एवं भण्डारण कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लॉज 3ए,सी की अवहेलना कर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करने से 15 जब्तसुदा सिलेण्ड़रों, दो गैस भरने की इलेक्ट्रीक मोटर मय रेग्यूलेटर नली को राज्यसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 20.09.2024 को मन प्रवर्तन अधिकारी पाली हमराह उपेन्द्र ढाका जिला रसद अधिकारी, तेजसिंह मेडतिया प्रवर्तन अधिकारी, जितेन्द्रसिंह आशिया प्रवर्तन अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से गैस सिलेण्डर की अवैध रिफिलींग एवं घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु भ्रमण के दौरान अप्रार्थी के प्रतिष्ठान नेशनल गैस सर्विस भाटी मार्केट के पास, मंडिया रोड पाली पर पहुंचे। मौके पर अप्रार्थी मोहम्मद यासीन गौरी पुत्र इस्लामुद्दीन गौरी उपस्थित मिले, जिन्होने खुद को फर्म का मालिक होना बताया। मौके पर रूबरू मौतबिरान शेरसिंह पुत्र मनोहरसिंह निवासी इन्द्रा कॉलोनी पाली हाल डिलीवरी मैन वासुदेव एचपी गैस सर्विस पाली तथा मोहम्मद इकबाल पुत्र अब्दुल अजीज निवासी 76 नाडी मोहल्ला पाली की उपस्थिति में प्रतिष्ठान कीं जांच के दौरान 15 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.02 किग्रा) एचपी कम्पनी के एवं दो गैस भरने वाली इलेक्ट्रीक मोटर मय रेग्युलेटर नली पायी गयी। जिनके बारे में फर्म मालिक से पुछने एवं

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

मौके पर आवश्यक दस्तावेज मांगने पर प्रस्तुत नहीं किये एवं न ही कोई संतोषप्रद जवाब दिया। जिस पर गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग में लिए जाने पर गैस सिलेण्डरों का उपयोग रूकवाया जाकर मौके पर मैसर्स वासुदेव एचपी गैस सर्विस, पाली के प्रतिनिधी द्वारा हैंगिग स्केल से तौल करवाने पर निम्न सारणी–1 के अनुसार स्थिति पाई गई :–

सारणी–1

(वजन Kg.मे)

क्र. सं.	नाम	कम्पनी	सिलेण्डर पर एलपीजी उपदर्शित मानक भार/क्षमता	भरे हुये सिलेण्डर का वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	शुद्ध गैस का वजन	सिलेण्डर नम्बर
1	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	15.900	15.900	0.000	408439
2	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	15.500	15.500	0.000	016191 S
3	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	15.600	15.600	0.000	044255
4	घरेलू गैस सिलेण्डरं	HPCL	14.200	16.600	15.600	0.000	04952
5	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	15.700	15.700	0.000	285941
6	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	30.300	16.300	14.000	404050
7	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	30.100	15.900	14.200	894918 S
8	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	29.500	15.500	14.000	162568 T
9	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	29.500	15.600	13.900	475808 J.
10	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	30.300	16.200	14.100	487065 A
11	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	29.600	15.700	13.900	004809
12	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	29.500	15.400	14.100	238668 S
13	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	29.700	15.800	13.900	5507
14	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	29.700	15.700	14.000	379704 S
15	घरेलू गैस सिलेण्डरं	HPCL	14.200	30.100	16.000	14.100	261312T
	दो गैस भरने की इलेक्ट्रीक मोटर मय रेग्युलेटर नली						

इस प्रकार उपरोक्तानुसार सारणी–1 में वर्णित गैस सिलेण्डर व अन्य सामान को जब्त कर वजह सबूत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु शुभम मण्डल पुत्र उतम मण्डल निवासी 413 इन्दिरा कॉलोनी विस्तार पाली मैनेजर वासुदेव गैस सर्विस पाली को सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द किया गया। उपरोक्त कार्यवाही के मौके पर उपलब्ध मोबाईल फोन से फोटोग्राफ्स लिये गये जो वजह सबूत पत्रावली संलग्न है व निरीक्षण पर्चा मय फर्द अभिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त घरेलु गैस सलेण्डरों का अवैध भण्डारंण एवं व्यावसायिक उपयोग में लेना आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3ए, सी के उपबन्धों की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तसुदा 15 गैस सिलेण्डरों एवं दो गैस भरने की इलेक्ट्रीक मोटर मय रेग्युलेटर नली को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने वक्त बहस एवं अपने लिखित जवाब में कथन किया कि अप्रार्थी की फर्म से प्रवर्तन अधिकारी पाली द्वारा जब्तशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर 04 गैस सिलेण्डर प्रार्थी के स्वयं के है एवं अन्य 11 गैस सिलेण्डर अप्रार्थी के परिचितों के है जिसे उनकी फर्म में भरवाने के लिए रखे थे। जिनका व्यवयायिक उपयोग नहीं किया जा रहा था। उपरोक्त प्रकरण मिथ्या एवं झुठा है। अप्रार्थी की नेशनल गैस सर्विस नाम की कोई संस्था नही है न ही वह उसका प्रोपराईटर है, न ही अप्रार्थी ने नेशनल गैस सर्विस का मालिक होना बताया है। अप्रार्थी ने अपनी पत्नी एंव भाई के नाम गैस कनेक्शन लिया हुआ है। ज्यादातर समय गैस वितरणकर्ता गैस टंकिया उपभोक्ता के घर तक नहीं पहुंचाते है वह भाटी मार्केट तक ही आते है जिससे अप्रार्थी एवं उनके मिलने वाले अपनी खाली टंकिया एवं गैस डायरी एंव रूपये अप्रार्थी के भाई मौहसीन गौरी को देकर जाते है जिससे खाली टंकिया देकर गैस वितरण कर्ता से भरी टंकी ले कर रख लेवे। मौके पर अप्रार्थी से प्रार्थी को उपरोक्त तथ्य से अवगत करवाया था लेकिन प्रार्थी ने अप्रार्थी की बात को न सुनकर कहा की जो कहना है वह न्यायालय में कहना और यह बतार झुठा प्रकरण बना कर श्रीमान के समक्ष पेश कर दिया। मौके पर जब्त इलेक्ट्रीक मोटर वाहनों की हवा भरने एवं सफाई के उपयोग में ली जाती है न कि गैस भरने के काम मे ली जाती है। प्रार्थी से अप्रार्थी के विरूद्ध झुठा प्रकरण बनाया है एंव खाली प्रफ़ोर्मा पर हस्ताक्षर करवा कर मौके पर कोई कार्यवाही नहीं की है। अप्रार्थी ने अपने पक्ष के समर्थन में गैस सिलेण्डर उपभोक्ता जिनके सिलेण्डर प्रार्थी के कब्जे में है, की गैस डायरी की प्रति एवं शपथ पत्र पेश करते हुये हस्तगत प्रकरण को खारिज फरमाकर प्रार्थी द्वारा जब्त गैस सिलेण्डर मय 2 इलेक्ट्रीक मोटर मय रेग्युलेटर नली अप्रार्थी को लौटाया जाने का निवेदन किया है।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के प्रतिष्ठान नेशनल गैस सर्विस भाटी मार्केट के पास मंडिया रोड पाली पर घरेलु गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु भ्रमण दौरान पहुंचे, जहां पर अप्रार्थी एवं मौके पर रूबरू मौतबिरान मोहम्मद शेरसिंह पुत्र मनोहरसिंह निवासी इन्द्रा कॉलोनी पाली हाल डिलीवरी मेन वासुदेव एचपी गैस सर्विस पाली तथा मोहम्मद इकबाल पुत्र अब्दुल अजीज निवासी 76 नाडी मोहल्ला पाली की उपस्थिति में अप्रार्थी की फर्म का निरीक्षण करने पर अप्रार्थी की फर्म में कुल 15 गैस सिलेण्डर एंव इलेक्ट्रीक मोटर मय रेग्युलेटर नली पायी गयी जिसके द्वारा अप्रार्थी घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से भण्डारण, रिफलिंग एवं बेचान कर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। उक्त गैस सिलेण्डर के उपयोग के बारे में अप्रार्थी ने कोई सन्तोषप्रद जवाब नहीं दिया और न ही इसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये, जिसकी ताईद प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण पर्चा से

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

होती है। अप्रार्थी द्वारा किया गया उक्त कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 की धारा 3(1)(ग) "ऐसे प्रयोजन से, जिसके लिए उपभोग्ता सरकारी तेल कम्पनी के वितरक के पास रजिस्ट्रीकृत है, भिन्न किसी प्रयोजन के लिए द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का उपयोग नहीं करेगा" की अवहेलना है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस यह कथन किया कि नेशनल गैस सर्विस भाटी मार्केट के पास मण्डिया रोड पाली की कोई संस्था नहीं है, न ही वह नेशनल गैस सर्विस संस्था का प्रोपराईटर है। ऐसे में प्रकरण खारिज योग्य है, जिसके सबंध में निरीक्षण पर्चा (प्रपत्र 6) का अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रपत्र पर अप्रार्थी एवं स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर है, जिसके अनुसार अप्रार्थी ने मौके पर उक्त वाणिज्यिक संस्था के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये, साथ ही मौके पर गैस सिलेण्डर के इलेक्ट्रीक मोटर से रेग्युलेटर मय पाईप जुडा हुआ था जिससे वाहनों में गैस भरी जाती है। जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी बिना किसी वाणिज्यक पंजीयन के दुकान चला रहा था जो गैर कानुनी है। प्रार्थी एवं उनके दल द्वारा विधि अनुसार एव अधिनियम द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के तहत कार्यवाही की है, जो अधिनियम में प्रदत्त प्रावधानों के अनुरूप है।

अधिवक्ता अप्रार्थी का दौराने बहस यह भी उज्र था कि गैस वितरणकर्ता द्वारा उपभोक्ताओं के घर पर गैस सिलेण्डर का वितरण नहीं किये जाने के कारण, अप्रार्थी की दुकान/प्रतिष्ठान पर उपभोक्ताओं की गैस डायरी एवं खाली गैस सिलेण्डर रखे जाते है और वहा से गैस वितरणकर्ता से भरा गैस सिलेण्डर प्राप्त करते है। यदि अप्रार्थी को गैस सिलेण्डर का परिदान घर के पते पर नहीं हो रहा था तो उन्हे सम्बन्धित विभाग में शिकायत दर्ज करवानी थी परन्तु अप्रार्थी द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 की धारा 9 (ड.) की अवहेलना के सम्बन्ध में कोई शिकायत दर्ज करवायी हो ऐसे कोई विधिक दस्तोवज पेश नहीं किये। साथ ही द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 की धारा 4(1)(क) तब तक किसी सिलेण्डर में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस नहीं भरेगा या एक सिलेण्डर से दूसरे सिलेण्डर में या एक आधान से दूसरे आधान में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का अन्तरण नहीं करेगा जब तक उसे मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत न किया गया हो, परन्तु हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी स्वयं की यह स्वीकारोक्ति है कि उनके दुकान पर गैस सिलेण्डर रखे जाते थे अर्थात् अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त नियम की अवहेलना करते हुये घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से भण्डारण, रिफलिंग एवं बेचान कर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था।

इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौकाफर्द के अवलोकन से भी यह जाहिर होता है कि 1 घरेलु गैस सिलेण्डर इलेक्ट्रीक मोटर से मय रेगुलेटर जुडा हुआ था एवं जिससे वाहनों में गैस भरी जाती है अर्थात् अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावासयिक उपयोग किया जा रहा था। जिस पर प्रार्थी द्वारा उक्त

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

घरेलु गैस सलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग रूकवाकर हैगिंग स्केल द्वारा तौल किया एवं गैस सिलेण्डर कब्जे में लेकर मैसर्स वासुदेव गैस सर्विस पाली को सुपुर्द किया। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त समस्त कार्यवाही मौके पर द्रवित गैस, पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के तहत की है। जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के उपबन्धों की अवहेलना की है। लिहाजा उक्त जब्तसुदा घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

परिणामस्वरुप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर उपरोक्त सारणी–1 में वर्णित 15 घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध व्यावसायिक उपयोग किए जाने पर जब्तसुदा गैस सिलेण्डरो के अवैध भण्डारण एवं उपयोग कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3ए, सी के उपबन्धों की अवहेलना किये जाने से उक्त 15 गैस (एचपी कम्पनी) सिलेण्डरों को मय गैस तथा रेग्यूलेटर नली को राज्यसात (Confiscate) किया जाता हैं एवं दो गैस भरने की इलेक्ट्रीक मोटर को अप्रार्थी को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की सत्यप्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि जब्त सुदा घरेलु गैस सिलेण्डरों को सुपुर्ददार से प्राप्त कर राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक F 8618/खा.ले./नीति/6A/2020 जयपुर दिनाँक 19.08.2000 एवं उसकी पालना में खादय एवं नागरिक रसद विभाग द्वारा जारी पत्रांक F04{23} खा. ले/नीति/6A/89 जयपुर दिनाँक 16.11.1999 के अनुरूप ही जब्तसुदा गैस सिलेण्डरों के निस्तारण की कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20/05/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली